



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 768 का संशोधन सहित नवीकरण /**

**Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 768**

**विषय / Sub: रबड़ काम्पाउंड हैलप्रिन - 01**

**RUBBER COMPOUND HALPRINE - 01**

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश सं. एनएफएल-17-131ए-31बी5 और 5ए50 के लिए मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री व फॉर्ज प्रभाग, बेंगलूरु- 560 017, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "रबड़ काम्पाउंड हैलप्रिन - 01" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-768, दिनांक 31 अक्टूबर 1996, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 768 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/टीए-768/4आर, दिनांक 07 जनवरी 2013 द्वारा इसका नवीकरण किया गया था, जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक था।

*This is to state that the "Rubber Compound HALPRINE - 01" to the Specification Number: NFL - 17 - 131A - 31B5 & 5A50, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru - 560 017, has been issued with Type Approval Number: 768, vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-768, dated: 31<sup>st</sup> October 1996. Subsequently renewed vide Reference Number: CEMILAC/5070 / TA-768/4R, dated: 07<sup>th</sup> January 2013, with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2017.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा एचएएल (एफ एंड एफ) प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2022. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, DRDO, C/o Hindustan Aeronautics Limited, (F & F) Division, Bengaluru-560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause. All other conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-768, दिनांक 31 अक्टूबर 1996 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-768, dated: 31<sup>st</sup> October 1996 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर - 560037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru -560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र / पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate/ letter remains unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-768/5R

दिनांक / Date 25 January 2018

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856





पी. जयपाल / P. JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)